011

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 22, 2004/आषाढ़ 31, 1926
No. 131] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 22, 2004/ASADHA 31, 1926

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2004

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) (संशोधन) विनियमावली, 2004

सं. एलईजी-59/46.— भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में भारतीय निर्यात-आयात बैंक का निदेशक मंडल केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय निर्यात-आयात बैंक (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) विनियमावली, 1983 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है; नामतः-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ** - (1) इन विनियमों को, भारतीय निर्यात-आयात बैंक (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन)(संशोधन) विनियमावली, 2004 कहा जाएगा ।

   (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (बांडों का निर्गम एवं प्रबंधन) विनियमावली, 1983 (इसमें इसके पश्चात उक्त विनियमावली के रूप में निर्दिष्ट) में विनियम 3 के बाद निम्नलिखित विनियम शामिल किया जाएगा, अर्थात :-

"**3ए. बांडों की अमूर्तीकरण** - (1) विनियम 3 में निहित किसी बात के होते हुए भी, बांड, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों एवं उप-विधियों के अनुसार अमूर्तीकृत रूप में भी जारी किया जा सकता है ।

(2) इस विनियमावली के अंतर्गत बांड में अभिदान करने या बांड धारित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निक्षेपागार अधिनियम,1996 और उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों एवं उप-विधियों के प्रावधानों के अधीन निक्षेपागार सहभागी के पास अमूर्त रूप में बांड धारित करने का विकल्प होगा । यदि कोई व्यक्ति अमूर्त रूप में बांड धारित करने का विकल्प चुनता है तो ऐसे व्यक्ति से अपेक्षित जानकारी मिलने पर एक्ज़िम बैंक ऐसे व्यक्ति को आबंटित या द्वारा धारित बांड धारिता का संबंधित ब्यौरा हिताधिकारी स्वामी के रूप ऐसे व्यक्ति के खाते में ऐसी बांड धारिता को जमा करने के प्रयोजन से निक्षेपागार को प्रस्तुत करेगा ।

(3) बांडों के हिताधिकारी स्वामी के रूप में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय निक्षेपागार के पास अमूर्त रूप में बांड धारित न करने का विकल्प चुन सकता है, यदि कुछ तत्समय प्रचलित विधि द्वारा अनुमत हो, और उसके बदले, निक्षेपागार अधिनियम 1996 और उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों एवं उप-विधियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया, यदि कोई है, के अनुसार आवेदन करके विनियम 3 में उपबंधित किसी अन्य रूप में एक्ज़िम बैंक द्वारा जारी बांड धारित कर सकता है । एक्ज़िम बैंक निक्षेपागार से बांडों का विवरण प्राप्त होने पर और हिताधिकारी स्वामी द्वारा शर्तों, यदि कोई हो, जो एक्ज़िम बैंक द्वारा नियत की जाएं, को पूरा करने पर हिताधिकारी स्वामी या बांडों के क्रिसी अंतरिती, जैसा भी मामला हो, द्वारा अपेक्षित किसी भी रूप में बांड जारी कर सकता है ।

(4) इस विनियमावली में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी निक्षेपागार को हिताधिकारी स्वामी की ओर से बांडों के स्वामित्व का अंतरण के प्रयोजन से बांडों का पंजीकृत स्वामी माना जाएगा ।

(5) बांडों के अंतरण के संबंध में इस विनियमावली में निहित कोई भी बात अंतरणकर्ता और अन्तरिती द्वारा किये गये किसी भी अंतरण पर लागू नहीं होगी, जिनमें से दोनों निक्षेपागार के रिकार्ड में हिताधिकारी स्वामी के रूप में दर्ज हों । निक्षेपागार द्वारा अमूर्त रूप में धारित बांडों का अंतरण निक्षेपागार अधिनियम 1996 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों एवं उप-विधियों द्वारा नियंत्रित होंगें ।

(6) इसमें अन्यथा उपबंधित के सिवाय, एक्जिम बैंक बांडों पर ब्याज तथा मूलधन के भुगतान के संबंध में उस व्यक्ति को एकमात्र स्वामी मानने के लिए हकदार होगा । जिसका नाम एक्जिम बैंक द्वारा निर्धारित तारीख को निक्षेपागार के रिकार्डों में बांडों के हिताधिकारी स्वामी के रूप में दर्ज है ।

(7) निक्षेपागार की उपेक्षा के कारण हिताधिकारी स्वामी को हुई किसी हानि के लिए एक्जिम बैंक किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा ।

(8) " हिताधिकारी स्वामी", " निक्षेपागार " और "पंजीकृत स्वामी" पदों का जहां कहीं भी इस विनियमावली में प्रयोग हुआ है, का अर्थ वही होगा जो निक्षेपागार अधिनियम 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के क्रमशः खण्ड (क), (ड) और (ञ) में दी गई है ।"

3. उक्त विनियमावली में विनियम 4 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"4. **अमान्यता प्राप्त न्यास** - एक्ज़िम बैंक बांड के संबंध में धारक के निरपेक्ष अधिकार के सिवाय बांड के संबंध में किसी न्यास या किसी अधिकार को, उसकी जानकारी होने पर भी किसी भी तरह से मान्यता देने के लिए आबद्ध या बाध्य नहीं होगा बशर्ते इस विनियमावली में निहित कोई भी बात निक्षेपागार द्वारा हिताधिकारी स्वामी की ओर से पंजीकृत स्वामी के रूप में धारित बांडों के संबंध में, निक्षेपागार पर लागू नहीं होगी।"

4. उक्त विनियमावली में विनियम 8 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

"8. <u>ब्याज का भुगतान</u> - (1) वचनपत्र के रूप में बांड पर ब्याज निर्गमकर्ता कार्यालय या एक्ज़िम बैंक के किसी भी अन्य कार्यालय या इसके बैंकरों, जैसाकि बांड प्रास्पेक्ट्स में निर्दिष्ट हो, द्वारा वारंट के जरिए अदा किया जाएगा, जो बांडधारक द्वारा ऐसी औपचारिकताओं के अनुपालन के अधीन होगा जो एक्ज़िम बैंक द्वारा अपेक्षित हों ।

(2) स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में बांड पर ब्याज एक्ज़िम बैंक द्वारा जारी वारंट के जरिए अदा किया जाएगा । ब्याज की अदायगी के समय स्टाक प्रमाण पत्र की प्रस्तुति अपेक्षित नहीं होगी लेकिन वारंट के पीछे आदाता प्राप्ति की अभिस्वीकृति देगा ।

(3) एक्ज़िम बैंक की बहियों में प्रविष्टि के रूप में या अमूर्त रूप में धारित बांड पर ब्याज एक्ज़िम बैंक द्वारा जारी वारंट के जरिये अदा किया जाएगा ।

(4) निक्षेपागार के पास अमूर्त रूप में धारित बांड पर ब्याज हिताधिकारी स्वामी को वारंट के जरिये अदा किया जाएगा ।

(5) एक्जिम बैंक, अपने पूर्ण विवेक पर, अमूर्त रूप में बांडों के मामले में बांडधारक के या हिताधिकारी स्वामी के निर्दिष्ट बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा, जहाँ, ऐसी सेवा उपलब्ध है, के माध्यम से जमा द्वारा, यदि बांड धारक या हिताधिकारी स्वामी, जैसा भी मामला हो, द्वारा ऐसा वांछित हो, बांडों पर ब्याज अदा कर सकता है ।

5. उक्त विनियमावली में विनियम 10 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"10. **समाचार पत्र में क्षति, चोरी आदि की सूचना प्रकाशित करना -**

किसी बांड या वचनपत्र के रूप में बांड के किसी भाग के खो जाने, चोरी हो जाने, नष्ट हो जाने (कटे-फटे या विकृत हो जाने) की सूचना आवेदक द्वारा क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र में तत्काल प्रकाशित की जाए ।

स्पष्टीकरण :- एक्जिम बैंक समय-समय पर यह निश्चित करेगा कि किन समाचार पत्रों को निर्गम कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के लिए प्रमुख समाचार पत्र के रूप में माना जाएगा । ऐसे प्रकाशन निम्नलिखित रूप में या लगभग ऐसे रूप में होंगे जैसे कि परिस्थितियों के अनुसार अनुमत हो :

"क्षति चोरी आदि की सूचना

"एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय निर्यात-आयात बैंक के बांड नं._____ का _____ प्रतिशत _____रुपये का जो मूल रूप से _____ के नाम से था अंतिम बार_____ प्रोपाइटर को पृष्ठांकित किया गया था जिनके द्वारा यह कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को

2281 GI/04 — 2

पृष्ठांकित नहीं किया गया है, * खो गया /चोरी हो गया / नष्ट / कट-फट /विरूपित) हो गया है, उपर्युक्त बांड और उस पर ब्याज की अदायगी निर्गम कार्यालय में रोक दी गई है और प्रोपाइटर के पक्ष में डुप्लीकेट बांड जारी करने के लिए आवेदन किया जानेवाला है या आवेदन किया गया है । उपर्युक्त बांड को खरीदने या अन्य रूप में व्यवहार करने के विरुद्ध जनता को सावधान किया जाता है । "

अधिसूचित करने वाले

व्यक्ति का नाम _____

आवासीय पता _____

* जो लागू न हो उसे काट दें "

6. उक्त विनियमावली में, विनियम 11, के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"11. **डुप्लीकेट बांड जारी करना एवं क्षतिपूर्ति बांड प्राप्त करना** - (1) विनियम 10 में निर्धारित सूचना के प्रकाशन के बाद प्राधिकृत अधिकारी यदि वह बांड के खो जाने, चोरी होने, नष्ट होने, कटने-फटने या विरूपित होने के बारे में या आवेदक के दावे से संतुष्ट है, तो विनियम 13 के अंतर्गत प्रकाशित सूची में बांड का विवरण होगा और निर्गम कार्यालय को निम्नलिखित के लिए आदेश देगा -

(i) इस प्रकार खोये, चोरी हुए, नष्ट हुए, कटे-फटे या विरूपित हुए बांड के संबंध में क्षतिपूर्ति बांड के निष्पादन पर आवेदक को ब्याज अदा करना, और

(ii) विनियम 10 के अंतर्गत उक्त सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीनों के बाद इस तरह खोए हुए, चोरी हुए, नष्ट हुए कटे-फटे या विरूपित हुए बांड की जगह एक या एक से अधिक प्रतिभू के साथ क्षतिपूर्ति बांड के निष्पादन पर आवेदक को डुप्लीकेट बांड जारी करना बशर्ते कि :

क) यदि डुप्लीकेट बांड जारी करने के पहले किसी समय मूल बांड मिल जाए या अन्य कारणों से निर्गम कार्यालय में ऐसा लगे कि आदेश को रद्द किया जाना चाहिए तो मामला प्राधिकृत अधिकारी के पास आगे विचार के लिए भेजा जाएगा और इस बीच आदेश के संबंध में समस्त कार्रवाई निलंबित कर दी जाएगी । इस उप-विनियम के अंतर्गत पारित आदेश उसमें संदर्भित तीन महीनों की अवधि समाप्त होने के बाद अंतिम हो जाएगा जब तक इसे इस बीच रद्द या अन्यथा संशोधित न किया गया हो;

ख) जहाँ खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, कटा-फटा या विरूपित वचनपत्र के रूप में बांड पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य का नहीं है, आवेदक द्वारा किसी प्रतिभू के बिना आवेदन प्रस्तुत करने पर वचनपत्र के रूप में डुप्लीकेट बांड जारी किया जाएगा, और

ग) जहाँ ऐसा आवेदन किसी भी अंकित मूल्य के कटे-फटे या विरूपित वचनपत्र के रूप में बांड के संबंध में किया जाता है, तो वचनपत्र के रूप में डुप्लीकेट बांड क्षतिपूर्ति बांड के बिना जारी किया जा सकता है, यदि वचनपत्र के रूप में बांड मूल रूप से जारी बांड के रूप में पहचाने जाने योग्य है ।

(2) एक्ज़िम बैंक इस विनियम के अंतर्गत सदिच्छा से ऐसे बांडों को जारी करने का कोई दायित्व नहीं लेता ।

(3) उप-विनियम (1) के अंतर्गत जारी डुप्लीकेट बांड इन विनियमों के सभी प्रयोजनों के लिए मूल बांड के समतुल्य समझा जाएगा, सिवाय इसके कि पूर्व सत्यापन के बिना यह बांड निर्गम कार्यालय, जहाँ ऐसा बांड पंजीकृत है, को छोड़कर अन्य निर्गम कार्यालय में भुनाया नहीं जा सकता है।"

7. उक्त विनियमावली में, विनियम 13 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"13. **सूची का प्रकाशन** - (1) विनियमन 11 में संदर्भित सूची एक्ज़िम बैंक द्वारा जनवरी और जुलाई माह में या उसके बाद यथा संभव शीघ्र दो प्रमुख समाचार पत्रों में या एक प्रमुख समाचार पत्र में और भारत के राजपत्र में छमाही आधार पर प्रकाशित की जाएगी ।

(2) सभी बांड, जिनके संबंध में विनियम 11 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है, ऐसे आदेश के पारित होने के बाद प्रकाशित अगली सूची में शामिल किये जाएंगे ।

(3) सूची में शामिल किये गये प्रत्येक बांड के संबंध में निम्नलिखित विवरण होंगे :

(क) निर्गम का नाम ;

(ख) बांड की संख्या, इसका मूल्य ;

(ग) व्यक्ति का नाम जिसे यह जारी किया गया था ;

(घ) तारीख जब से इस पर ब्याज देय है ;

(ङ) डुप्लीकेट बांड के लिए आवेदक का नाम ;

(च) ब्याज के भुगतान या डुप्लीकेट जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश की संख्या एवं तारीख ।"

8. उक्त विनियमावली के विनियम 20 में,

(i) खण्ड (ख) में "जिसमें बांड पहले उल्लेख किया गया हो" शब्दों का " जिसमें बांड उल्लेख किया गया हो" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ii) खण्ड (ग) के बाद निम्नलिखित खण्ड सम्मिलित किया जाएगा अर्थात् :-

"(घ) विनियम 11 के अंतर्गत वचन पत्र के रूप में जारी डुप्लीकेट बांड के मामले में, डुप्लीकेट बांड जारी करने के तत्काल बाद "

प्रमाणित किया जाता है कि, भारत सरकार ने निम्नलिखित को अनुमोदन प्रदान किया है :

1) उक्त संशोधनों को, 4 सितंबर 2003 के पत्र द्वारा ।

2) मूल बांड विनियमावली को 1 अगस्त, 1983 के पत्र द्वारा ।

ए. शंकर, महाप्रबन्धक

[विज्ञापन-III/IV/65/04]

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2004

The Export-Import Bank of India (Issue and Management of Bonds) (Amendment) Regulations, 2004

No. LEG-59/46.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Board of Directors of Export-Import Bank of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations further to amend the Export-Import Bank of India (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1983, namely: -

1. **Short title and commencement** – (1) These Regulations may be called the Export-Import Bank of India (Issue and Management of Bonds) (Amendment) Regulations, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2281 GI/04—3

2. In the Export-Import Bank of India (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1983, (hereinafter referred to as the said Regulations), after regulation 3, the following regulation shall be inserted, namely :-

"3A. **De-materialisation of Bonds** – (1) Notwithstanding anything contained in regulation 3, a Bond may be issued also in a de-materialised form in accordance with the Depositories Act, 1996, and regulations and bye-laws made thereunder.

(2) Every person subscribing to or holding the Bonds under these regulations shall also have the option to hold the Bonds in de-materialised form with a depository participant subject to the provisions of the Depositories Act, 1996 and regulations and bye-laws made thereunder. If a person opts to hold the Bonds in de-materialised form, Exim Bank shall, upon receipt of the requisite information from such person, furnish to the depository, the relevant details of the bondholding allotted to or held by such person, for the purpose of credit of such bondholding to the account of such person as the beneficial owner.

(3) Any person as the beneficial owner of the Bonds may at any time opt not to hold the Bonds in de-materialised form with a depository, if permitted by law, for the time being in force, and instead have the Bonds issued by Exim Bank in any other form provided by regulation 3 by making an application in accordance with the procedure, if any, laid down by the Depositories Act, 1996 and the regulations and bye-laws made thereunder. Exim Bank shall, on receipt of particulars of the Bonds from the depository and on fulfillment by the beneficial owner of conditions, if any, that may be stipulated by Exim Bank, issue the Bonds in any of the forms as may be required by the beneficial owner or any transferee of the Bonds, as the case may be.

(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in these Regulations, a depository shall be deemed to be the registered owner of the Bonds for the purpose of effecting transfer of ownership of the Bonds on behalf of the beneficial owner.

(5) Nothing contained in these Regulations regarding transfer of the Bonds shall apply to any transfer effected by a transferor and transferee, both of whom are entered as beneficial owners in the records of a depository. Transfer of Bonds in de-materialised form held with the depository shall be governed by the provisions of the Depositories Act, 1996 and the regulations and bye-laws made thereunder.

(6) Save as herein otherwise provided, Exim Bank shall be entitled to treat the person whose name appears as the beneficial owner of the Bonds in the records of the depository as of a date that may be determined by Exim Bank as the absolute owner thereof with respect to payment of interest and principal of the Bonds.

(7) Exim Bank shall not be liable in any manner whatsoever for any loss caused to the beneficial owner due to the negligence of a depository.

(8) The expressions "beneficial owner", "depository" and "registered owner", wherever used in these Regulations shall have the same meaning as respectively assigned to them in clauses (a), (e) and (j) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act, 1996."

3. In the said Regulations, for regulation 4, the following regulation shall be substituted, namely:-

"4. **Trust not recognized** - The Exim Bank shall not be bound or compelled to recognise in any way, even when having notice thereof, any trust or any right in respect of a Bond other than an absolute right thereto in the holder provided that nothing in this Regulation shall apply to a depository in respect of Bonds held by it as a registered owner on behalf of the beneficial owner."

4. In the said Regulations, for regulation 8, the following regulation shall be substituted, namely:-

"8. **Payment of Interest** – (1) Interest on a bond in the form of a promissory note shall be paid by warrants by the Office of Issue or any other office of the Exim Bank or its bankers as may be specified in the Bond prospectus subject to compliance by the holder of the Bond with such formalities as the Exim Bank may require.

(2) Interest on a bond in the form of Stock Certificate shall be paid by warrants issued by the Exim Bank. The presentation of the Stock Certificate shall not be required at the time of payment of interest but the payee shall acknowledge the receipt at the back of the warrant.

(3) Interest on a bond held in the form of an entry in the books of the Exim Bank or in the de-materialised form shall be paid by warrants issued by the Exim Bank.

(4) Interest on a bond held in de-materialised form with a depository shall be paid to the beneficial owner by way of warrants.

(5) Exim Bank may at its absolute discretion, pay interest on the bonds by credit to the designated bank account of the holder of Bonds or of the beneficial owner in the case of Bonds in de-materialised form, by means of electronic clearing service wherever such service may be available, if so desired by holder of the bond or the beneficial owner, as the case may be."

5. In the said Regulations, for regulation 10, the following regulation shall be substituted, namely: -

"10. **Publication of notice of loss, theft, etc. in the newspaper –**

The loss, theft, destruction (mutilation or defacement) of a bond or a portion of a bond in the form of a promissory note shall forthwith be published by the applicant in a leading newspaper of the area.

Explanation:- Exim Bank shall decide from time to time as to which of the newspapers shall be deemed to be 'leading' newspaper for the area, under jurisdiction of the Office of Issue. Such publication shall be in the following form or as nearly in such form as circumstances permit:

"Notice of loss, theft etc.

"Notice is hereby given that the Export-Import Bank of India Bond No..... of the ..... per cent Bond ..... for Rs..... originally standing in the name of ..... last endorsed to ..... the proprietor, by whom it was never

2281 GI/04—4

endorsed to any other person having been *lost/stolen/destroyed/(mutilated/defaced*), the payment of the above bond and the interest thereupon has been stopped at the Office of the Issue, and that application is about to be made or has been made for the issue of a duplicate in favour of the proprietor. The public is cautioned against purchasing or otherwise dealing with the above-mentioned bond".

Name of the person
notifying _____
Residence _____

*Delete whichever is not applicable."

6. In the said Regulations, for regulation 11, the following regulation shall be substituted, namely:-

"11. **Issue of duplicate bond and taking of indemnity** – (1) After the publication of the notice prescribed in regulation 10, the authorised Officer shall, if he is satisfied of the loss, theft, destruction, mutilation or defacement of the bond and of the claim of the applicant, cause the particulars of the bond to be included in a list published under regulation 13, and shall order the Office of Issue –

(i) to pay to the applicant, on execution of an indemnity, interest in respect of the bond so lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced; and

(ii) to issue to the applicant on execution of indemnity, with one or more sureties, a duplicate bond in place of the bond so lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced, three months after the date of publication of the said notice under regulation 10 provided that –

(a) if at any time before the issue of the duplicate bond, the original bond is discovered or it appears to the Office of Issue for other reasons that the order should be rescinded, the matter shall be referred to the authorised Officer for further consideration and in the meantime, all action on the order shall be suspended. An order passed under this sub-regulation shall, on expiry of the period of three months referred to therein, become final unless it is in the meantime rescinded or otherwise modified;

(b) where a bond in the form of a promissory note lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced is of a denomination not exceeding of rupees fifty thousand, a duplicate Bond in the form of promissory note may be issued upon the applicant furnishing an indemnity bond without any surety; and

(c) where such application is made with respect to a bond in the form of a promissory note mutilated or defaced, of whatever face value, a duplicate bond in the form of promissory note may be issued without indemnity, if the Bond in the form of promissory note is capable of being identified as the one originally issued.

(2) The Exim Bank shall not incur any liability for issuing such bond in good faith under this regulation.

(3) A duplicate bond issued under sub-regulation (1) shall be treated as equivalent to the original bond for all the purposes of these regulations except that without previous verification, it shall not be encashable at an Office of Issue other than the Office of Issue at which such bond is registered."

7. In the said Regulations, for regulation 13, the following regulation shall be substituted, namely:-

"13. **Publication of List** – (1) The list referred to in regulation 11 shall be published by the Exim Bank half-yearly in two leading newspapers or in one leading newspaper and in the Gazette of India in the months of January and July or as soon as possible thereafter.

(2) All bonds in respect of which an order has been passed under regulation 11 shall be included in the first list published next after the passing of such order.

(3) The list shall contain the following particulars regarding each bond included therein :

(a) the name of the issue;
(b) the number of the Bond, its value;
(c) the name of the person to whom it was issued;
(d) the date from which it bears interest;
(e) the name of the applicant for a duplicate;

(f) the number and date of the order passed by the authorised Officer for payment of interest or issue of a duplicate.

8. In the said Regulations, in regulation 20,

(i) in clause (b) for the words "in which the Bond is first mentioned", the words "in which the bond is mentioned" shall be substituted.

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: -

"(d) in the case of a duplicate bond in the form of a promissory note issued under regulation 11 immediately after issue of the duplicate Bond."

Certified that Government of India has given approval to :

1) The above Amendments vide letter dated September 4, 2003.
2) Principal Bond Regulations vide letter dated August 1, 1983.

N. SHANKAR, General Manager

[ADVT-III/IV/65/04]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.